वन विभाग में निविदाकारों के पंजीकरण हेतू सूचना

वन विभाग के क्षेत्रीय वन मण्डल, पानीपत के अधीन क्षेत्रों में वानिकी के कार्यो से सम्बन्धित विभिन्न कार्यो को करने/करवाने हेतु निविदाकारों/पंजीकृत सोसायटियों व गैर सरकारी संस्थाओं से पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी/ पंजीकृत हो तथा उसका कोई नजदीकी रिश्तेदार जैसे पति–पत्नी, माता–पिता, पुत्र–पुत्री, भाई–बहन आदि वन विभाग, हरियाणा में कार्यरत न हो। निविदाकार वन विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी भी हो सकता है बशर्ते उसका स्वास्थ्य अच्छा हो तथा वह पूरी निष्ठा से वानिकी के कार्यो को करवाना चाहता हो। आवेदकों को वन विभाग द्वारा पंजीकरण के लिए निर्धारित शर्तो को पूरा करना होगा। आवेदकों को विभिन्न विभागीय वानिकी के कार्य करने/करवाने का पांच वर्ष या इससे अधिक का अनुभव/निपुणत्ता होनी आवश्यक है। वर्ष 2017–18 के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया फरवरी 2017 से आरम्भ है, इच्छुक आवेदक पंजीकरण/नवीनकरण फार्म सम्बन्धित रेंज/ मण्डल कार्यालय से प्राप्त करके अपना आवेदन पत्र दिनांक 31–03–2017 को सांय 5.00 बजे तक व0म0अ0, क्षेत्रीय मण्डल, पानीपत के कार्यालय में जमा करा सकते हैं। यह पंजीकरण /नवीनीकरण 31–3–2018 तक मान्य होगा। नया पंजीकरण विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क देकर इस निश्चित अवधि के दौरान करवाया जा सकता है। अधूरे आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

देनांकः ....

वन मण्डल अधिकारी, (क्षेत्रीय)
पानीपत।

दूरभाष :– 0180–2650331